## विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग—2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार, 10 मई, 2023 / 20 वैशाख, 1945 (शक)

संख्या-120

## सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 08.05.2023 को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है:—

"मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य पाया है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती को नई दिल्ली जिला के क्षेत्र में कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए हिरासत में लिया जाए।

तद्नुसार, 03.05.2023 को, अपराह्न 11.30 बजे, उन्हें जंतर—मंतर, नई दिल्ली क्षेत्र के संसद मार्ग पुलिस थाना, नई दिल्ली से हिरासत में लिया गया और मंदिर मार्ग पुलिस थाना ले जाया गया और उसके बाद, कापस हेड़ा पुलिस थाना, नई दिल्ली ले जाया गया । दिनांक 04.05.2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे उन्हें कापस हेड़ा पुलिस थाना, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

राज कुमार सचिव

## LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Wednesday, 10 May, 2023/20 Vaishakh, 1945 (Shaka)

No. 120

## **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

Hon'ble Members are hereby informed that following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 08.05.2023 from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Sh. Somnath Bharti, Hon'ble Member of Legislative Assembly of Delhi be detained for maintaining law and order and public peace in the area of New Delhi District.

Accordingly, on 03.05.2023, at 11:30 PM, he was detained from the Jantar Mantar, New Delhi area of Police Station Parliament Street, New Delhi and was taken to Police Station Mandir Marg and thereafter send to Police Station Kapasahera, New Delhi. On 04.05.2023, at 10.00 AM, he was released from Police Station Kapasahera, New Delhi."

Raj Kumar Secretary